

पटवारी रिपोर्ट

श्रीमान श्री गुलाबिक राजस्व रिमांड हाल जमाबंदी
 में सितंबर का नाम हरवश पुत्र हीरा हो गया
 में नाम लाला पुत्र हीरा है जो कि बाकी के अलावा
 राजस्व रिमांड में भी लाला पुत्र हीरा किया जाना
 नाम त्रिराफतहे का हुआ है।

भू अभिलेख निरीक्षक की जांच रिपोर्ट

श्रीमान श्री गुलाबिक रिपोर्ट पटवारी का निष्पत्त दृष्टिकोण से अंतिम
 रूप में किया जाना उचित है।

तहसीलदार की रिपोर्ट

मुलाबिक रिपोर्ट पटवारी/244 यथाप्रस्तावित/ मूल
 शिविर प्रभासी
 तहसीलदार (भू. अ.) नसीराबाद

2025
463

प्रभासी अधिकारी "ग्रामीण सेवा शिविर-2025"

क्रमांक/173

दिनांक:- 26-9-25

आदेश

उपरोक्त प्रार्थियों ने मेरे समक्ष उपस्थित होकर उपरोक्त प्रकार से अभिलेख में दुरुस्ती हेतु निवेदन किया गया है एवं इस दुरुस्ती को करने हेतु सहमति लिखित में दी है। पटवारी हल्का की रिपोर्ट एवं भू.अभिलेख निरीक्षक की जांच रिपोर्ट व तहसीलदार नसीराबाद की अनुशंषा अनुसार राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 136 के अनुसरण में ग्राम हरदी तहसील नसीराबाद की जमाबंदी सम्वत् 2074-77 के खाता संख्या 50, 688 में वर्तमान में दर्ज प्रविष्टी को निम्नलिखित रूप में शुद्ध किया जाकर राजस्व रेकॉर्ड में अमल दरामद के आदेश दिये जाते हैं।

क्र.सं.	पूर्व इन्द्राज का विवरण			स्वीकृत किया गया नया इन्द्राज		
	खातेदार का विवरण	खसरा नम्बर	रकबा	खातेदार का विवरण	खसरा नम्बर	रकबा
1.	हरवश पुत्र हीरा जाति-खासल (खासल) स. देह खातेदार शेष लदखर	उपरोक्त खाता सं. में वर्णित अनुसार		लाल पुत्र हीरा जाति-खासल (खासल) स. देह शेष लदखर	उपरोक्त खाता सं. में वर्णित अनुसार	

क्रमांक :- 254-15

दिनांक :- 26-9-25

उत्तिलिपि :- (1) तहसीलदार नसीराबाद की फाइल में
 (2) आदेश पत्रावली।

प्रभासी अधिकारी एवं उपखण्ड अधिकारी
 नसीराबाद, जिला अजमेर

